राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4003 / 2022

राजेन्द्र प्रसाद

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाखोडा लाडपुरा, कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.10.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जाखोडा, कोटा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवरी शाहबाद, किशनगंज, बारां में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी निशक्त व्यक्ति है, उसके 40 प्रतिशत निशक्तता बताई गई है। राज्य सरकार द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें यह निर्देश है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को निवास के निकट ही पदस्थापित रखा जावे। उनका तर्क है कि जो दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं, उसमें दृष्टिहीन व्यक्तियों को उनसे प्राप्त आवेदनों पर रिक्त पद पर प्राथमिकता से स्थानान्तरित किये जाने के निर्देश है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उक्त दिशा–निर्देशों के विपरीत लगभग 220 किमी. दूर अन्य जिले में किया गया है, जो अवैध एवं नियम विरूद्ध है। अतः अपील ग्राह्य

कर आलोच्य आदेश दिनांक 31.08.2022 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
4. हमने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 24.09.2019 का अवलोकन किया। उक्त दिशा निर्देशों में पूर्णतः दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिये दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु वर्तमान अपीलार्थी पूर्णतः दृष्टिहीन नहीं होना प्रकट हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त दिशा निर्देश अपीलार्थी पर लागू नहीं होते हैं। स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। वर्तमान पदस्थापित स्थान पर अपीलार्थी दिनांक 17.06.2017 से पदस्थापित है, ऐसे में समुचित समय तक अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर पदस्थापित रखने के पश्चात् अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
6. आदेश आज दिनांक 28.10.2022.को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)